

## उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या 03 - परीक्षा / 2016

### ग्राम विकास अधिकारी (सामान्य चयन) 2016

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि - 18.01.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि - 20.01.2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 06.02.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 08.02.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि - 10.02.2016

आयोग के विज्ञापन संख्या- 03-परीक्षा/2016 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी (सामान्य चयन) परीक्षा 2016 के अंतर्गत रिक्त ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त कुल 3133 पदों, जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-7 की सारणी-1 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

### विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को बापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

### ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना -

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

“ऑनलाइन आवेदन” करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

आयोग की वैबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर “ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स” (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

- 1- यूजर इन्स्ट्रक्शन (user instruction)
- 2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)
- 3- अप्लाई (apply)

**यूजर इन्स्ट्रक्शन (user instruction)-** में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

**प्रथम स्तर - अप्लाई** क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, कैटेगरी, जेंडर, शैक्षिक योग्यता संबंधी एवं अन्य सूचनाएँ सही- सही भरें। बाद में इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार होगा।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एक्नोलोजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके सुदृढ़ित किया जा सकेगा।

**द्वितीय स्तर - परीक्षा शुल्क भुगतान** हेतु वैबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / काइसी) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फर्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में

मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वैबसाइट पर प्रिंट ई-रिसीप्ट के आधान का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्शन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू.....) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.....) ट्रांजेक्शन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

**तृतीय स्तर-** बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपराह्न 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ट -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ सफेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। फोटोग्राफ,(\*.jpe,\*.jpeg,\*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्थाही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद “व्यू एप्लीकेशन फार्म” को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “सबमिट” बटन को क्लिक करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही-सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “सबमिट” बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7 ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

**नोट-** अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और आयोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार न होगा।

3. एक बार आवेदन “सबमिट” करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

**4. आवेदन शुल्क** – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैः-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
(5)	विकालांगजन	---	25.00	25.00

**नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक-1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।**

**5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

**6. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद के लिए एक से अधिक आवेदन “सबमिट” करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।**

**7. विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर 3133 रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत हैः-**

### **सारणी-1**

पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	वेतन बैन्ड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	पदों की संख्या						पदों की प्रकृति
				01 जुलाई, 2016 को आयु (न्यूनतम- अधिकतम) वर्षों में।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	
1-	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	ग्राम विकास अधिकारी	₹०५२००-२०२००/- ग्रेड पे- २०००/-	18-40	1836	612	74	611	3133	स्थायी

## विभागवार क्षैतिज आरक्षण

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित ग्राम विकास अधिकारी पद हेतु क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्न वत है:-

### सारणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	ग्राम विकास अधिकारी	(i)- स्व० संग्राम सेनानी (ii)- विकलांग (iii)- महिला (iv)- भूतपूर्व सैनिक	62 32 626 156

### टिप्पणी

(1)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे सारणी-3 में किया जा रहा है, धारित करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2)- विकलांगजनों (केवल चिह्नित पदों पर), महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(4)- उपर्युक्त सारणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आरक्षित श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

(5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

### 8- अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक):-

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित ग्राम विकास अधिकारी पद पर भर्ती हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता निम्न सारणी-3 में दी गयी है, आवेदन की अंतिम तिथि तक इच्छुक अभ्यर्थी जो उक्त अनिवार्य अर्हता धारित करते हो, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-

### सारणी-3

पद क्रमांक	पद नाम	अनिवार्य अर्हता/ अधिमानी अर्हता
1-	ग्राम विकास अधिकारी	(1)- विज्ञान या कृषि के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2)- कम्प्यूटर संचालन में सी०सी०सी०प्रमाण पत्र की अर्हता।

**9- अधिमानी अर्हता:-** उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने,

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

**नोट :-** ग्राम विकास विभाग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन सं०-ए-1895 / स्था०-2 / 2013 दिनांक 03.09.2013 द्वारा विज्ञापित 3002 पदों (सामान्य चयन) तथा विज्ञापन सं०- 1914 / स्था०-2 / 2013 दिनांक 06.12.2013 द्वारा विज्ञापित विकलांगजन के 19 पदों (विशेष चयन) के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके द्वारा सुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

**10- आयु सीमा :-** :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है। दिनांक 01.07.2016 को अभ्यर्थी की आयु पद के सम्मुख अंकित आयुसीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो।

(1)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(2)- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

**11- आरक्षण-** उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ विकलांगजनों(केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनाने पर)/ भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

**नोट-** आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र / आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

**12 - चयन का आधार:-** लिखित परीक्षा , शारीरिक परीक्षण तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के अंक वही होंगे, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा।

**13- शारीरिक परीक्षण:-** लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का निम्नलिखित तालिका में दिये गए विवरण के अनुसार शारीरिक परीक्षण किया जाएगा :-

क्रम सं०	विवरण	न्यूनतम निर्दिष्टियाँ	विहित स्तम्भ के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्टियों के लिए दिये गए अंक	योग्यता की निर्दिष्टियाँ	दिये जाने वाले अधिकतम अंक
1	2	3	4	5	6
1.	एक मील की दौड़	नौ मिनट में पूरी करने पर	पाँच	छः मिनट में पूरी करने पर	दस
2.	शारीरिक व्यायाम, दण्ड और बैठक	पंद्रह दंड और तीस बैठक	पाँच	पञ्चीस दंड और पचास बैठक	दस
3.	लम्बी कूद	दस फुट तक	पाँच	पंद्रह फुट तक	दस
4.	चार मील की साइकिल दौड़	पैंतालीस मिनट में पूरी करने पर	पाँच	पंद्रह मिनट में पूरी करने पर	दस
5.	दो मील चलना	पैंतालीस मिनट में पूरा करने पर	पाँच	पंद्रह मिनट में पूरा करने पर	दस

ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षा में कम से कम पंद्रह अंक प्राप्त करे, उन्हें शारीरिक परीक्षा में अर्ह समझा जाएगा।

#### **14- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश -**

- (1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- (2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मात्य होगा।
- (4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्री होने का उल्लेख है, मात्य न होगा।

- (6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- (9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।
- (9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- (10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- (11) अभ्यर्थी के अहं / अनहं होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (12) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।
- (13) चयनित महिलाओं, उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन को (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर) आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

(14) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व रौनिकों तथा विकलांगजन, को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेगे। महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(15) आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-8 की सारणी-3 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

## 15 - अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

- 1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 2- ऑनलाइन आवेदन “सबमिट” हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमत्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।
- 3- हाईस्कूल अधवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
- 6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन “सबमिट” नहीं होगा।
- 8- निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

- 10- कदाचय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवाञ्छनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 11- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- 12- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।
- 13- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाएं कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 14- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्री के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिम पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 15- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कॉटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 16- ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 08.02.2016 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 10.02.2016 है।

### **Detailed Application Form:**

At the top of the page there is a declaration for the candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

### **Notification Details:**

This section shows information relevant to Notification.

### **Personal Details**

This section show information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

## **Other Details of candidate**

Other Details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

## **Education & experience Details**

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

## **Declaration segment**

At the bottom of the page there is a " Declaration" for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

## **(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)**

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home page' of commission's website <http://upssc.gov.in> CANDIDATE SEGMENT.

<b>CANDIDATE SEGMENT</b>
<b>ALL Notification/Advertisements</b>
<b>Candidate Registration (First Stage)</b>
<b>Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)</b>
<b>Submit Application Form (Third Stage)</b>
<b>View Application Status</b>
<b>List of Applications Having Photo related Objections</b>
<b>Download form for Eligibility Checking</b>
<b>Download Interview Letter</b>
<b>Duplicate Registration Slip &amp; Application form</b>
<b>Download syllabus</b>

- I) LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION: On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.



सचिव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
लखनऊ।

## परिशिष्ट-४

### उत्तरो, वी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रधानित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुभारी	नियमिती ग्राम	तहसील	नगर	सुपुत्र/ सुपुत्री श्री	
विवरणीय जाति (अनुसूचित जाति) अदेश, 1950 (जिसे कि अमर-समय) पर संशोधित हुआ)/ संक्षिप्त (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1997 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में घासाचाता दी गई है।					
श्री/ श्रीमती/ सुभारी	प्राप्त	तथा अधिका उनका पारिवार उत्तर प्रदेश के	नगर	जिला	
प्राप्त	में सामान्यता रहता है।	तहसील			
स्थान		हस्ताक्षर			
दिनांक		पूरा नाम			
पुरुष		पद का नाम			
जिलाधिकारी/ अधिकारी जिलाधिकारी/ सिटी मणिस्ट्रोट/ परगना मणिस्ट्रोट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भौती मणिस्ट्रोट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी					

### उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रधानित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुभारी	नियमिती ग्राम	तहसील	नगर	सुपुत्र/ सुपुत्री श्री	
उत्तर प्रदेश राज्य की		पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक भेदा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आवश्यक) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसंधी-दो (जिसा कि उत्तर प्रदेश लोक दोष) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आवश्यक) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिक्रियापूर्त किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक भेदा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आवश्यक) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, तो आवश्यक नहीं है। इनके बाता-पिता की निरैत तीन वर्ष सीधी आवधि के लिये सकल वार्षिक आय ५ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा निहित धूर भीमा से अधिक सामाजिक भी नहीं है।			
श्री/ श्रीमती/ सुभारी	प्राप्त	तथा अधिका उनका पारिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम			
तहसील	नगर	जिला	में सामान्यतया रहता है।		
स्थान		हस्ताक्षर			
दिनांक		पूरा नाम			
पुरुष		पद का नाम			
जिलाधिकारी/ अधिकारी जिलाधिकारी/ सिटी मणिस्ट्रोट/ परगना मणिस्ट्रोट/ तहसीलदार					

**उम्रो के विकलागों के लिये प्रमाण-पत्र**

**CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.**

**NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL**

**Certificate No.....**

**DISABILITY CERTIFICATE**

This is certified that Shri/Smt./Kum.....

Son/Wife/Daughter of Shri..... age .....

Sex ..... identification mark (S) ..... is suffering from permanent disability of  
following category.

**A. Locomotor of cerebral palsy:**

- (i) BL-Both legs affected but not arms
- (ii) BA-Both arms affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

**B. Blindness or Low Vision:**

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

**C. Hearing Impairment:**

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of ..... year ..... months.

3. Percentage of disability in his/her case is ..... percent.

4. Shri/Smt./Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- (i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No
- (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yes/No
- (iii) L-can perform work by lifting Yes/No
- (iv) KC-can perform work by kneeling and couching. Yes/No
- (v) B-can perform work by bending. Yes/No
- (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
- (vii) ST-can perform work by standing. Yes/No
- (viii) W-can perform work by walking Yes/No
- (ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
- (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No

(x) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	
(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)

**Strike out which is not applicable.**

### उम्रो के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आक्रितों के लिए प्रभाग-पत्र

प्रधानित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ मुख्यमंत्री निवासी भाग  
 तहसील निवासी उत्तर प्रदेश  
 लोक सेपा (शारीरिक लोक से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आक्रित और भूतपूर्व सेनिक के लिए अस्थाय) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ मुख्यमंत्री (आक्रित) पुत्र/ मुत्री/ पंच/ चौथी विवाहित/ अविवाहित संपर्चाक्रियता अधिनियम 1993 के ही प्रधानानी के अनुसार उत्तर श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आक्रित हैं।

उत्तर प्रदेश  
 नाम \_\_\_\_\_  
 नाम \_\_\_\_\_  
 दिनांक \_\_\_\_\_  
 पुत्र नाम \_\_\_\_\_  
 मुत्र \_\_\_\_\_  
 विवाहितारी \_\_\_\_\_  
 चौथा \_\_\_\_\_

### कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रभाग-पत्र जो उम्रो के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्यालय-2 दिनांक 26 नवम्बर, 1985

प्रभाग-पत्र के फार्म - 1 वो 4

प्रारूप - 1

(गान्धीजी प्राप्त छोड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिये)

सामाजिक खेल की राष्ट्रीय फैब्रिकेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम \_\_\_\_\_ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति की लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रभाग-पत्र

प्रधानित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ मुख्यमंत्री आजम/ पत्नी/ शासना भी \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ भाग-पत्र के लिये लोक-खेल-कूट का नाम \_\_\_\_\_ ने दिनांक \_\_\_\_\_ से दिनांक \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_ (स्थान का नाम) में अवासित है। श्री/ श्रीमती/ मुख्यमंत्री/ दूरभिन्न में देश की ओर से भाग लिया।

उनके द्वारा के द्वारा उत्तर प्राप्त योग्यता/दूरभिन्न में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रभाग-पत्र अप्रौद्य फैब्रिकेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(एक संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के अधार पर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश  
 नाम \_\_\_\_\_  
 पद \_\_\_\_\_  
 संस्था का नाम \_\_\_\_\_  
 मुत्र \_\_\_\_\_

नोट: यह प्रभाग-पत्र नेशनल फैब्रिकेशन/ नेशनल एसोसिएशन को शाखिय द्वारा लाइसेंस स्वरूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही वाल्य होगा।

**प्राप्ति-२**

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

स्थानिक खेल को प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ने दिनांक से दिनांक तक मैं (कीड़ा/ खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) में उनके द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संख्या का नाम

पत्र

मुद्र

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्राप्ति-३**

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय अतिथीगत में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ने दिनांक से दिनांक तक मैं (विश्वविद्यालय की कक्षा) की विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (कीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

(विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।) यह प्रमाण-पत्र दीन ऑफ एंडरेस अंगठी द्वारा कूद

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संख्या का नाम

मुद्र

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ एंडरेस द्वारा द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्राप्ति-४**

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्टर ऑफ एंडरेसन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ने दिनांक से दिनांक तक (स्कूल में कक्षा) (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेतृत्व प्रेस की (कीड़ा/ खेल-कूद का नाम) शी प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टर ऑफ एंडरेसन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संख्या का नाम

पत्र

मुद्र

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/ या अधिकारी/ सम्मुख या उपनिवेशक डाइरेक्टर ऑफ एंडरेसन्स/ शिक्षा स्थपत्य से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा। द्वारा व्यक्तिगत